

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- फरवरी 05,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 144 वाहनों का चालान, 15 वाहनों से कुल 9100/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 24 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना*निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही *-अभियुक्त चौथी हरिजन पुत्र स्व0 सरजू नि0 जफती थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु2/53-0सं0अ01 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. अजमुद्दीन पुत्र स्व0 नसरल्ली नि0छितौना थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु/54-0सं0अ0/ 21धारा60-/ 63/आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मनोज पासवान पुत्र मंगरु नि0 बजरफोरवा थाना ठूठीवारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 28 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-18/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

*** गुण्डा अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण

1. संजय निषाद पुत्र रामाज्ञा नि0 बभनौली थाना पनियरा जनपद महाराजगंज

2. परमेश्वर चौहान उर्फ लल्ला पुत्र निम्मन नि0 सोनबरसा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

*** पशु क्रूरता अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण

1. गुलाम गौड़ पुत्र रामविलास

2. वसीउल्लाह पुत्र हदीश

3. मनीराम पुत्र रामदास नि0गण सोनबरसा हरदीडाली थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 02 राशि गाय व 02 बछड़ों को क्रूरता पूर्वक बांध कर मैजिक से ले जाने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 23/21 धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

*** कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

***थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* अभियुक्तगण**

1. फिरोज खान पुत्र मुर्तजा

2. आदिल पुत्र हनीफ नि0 जुगौली थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 580 पैकेट सिगरेट, 01 यामाहा मोटर साईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- निल/21 धारा- 11 कस्टम अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

***विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-08 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।**

जनपद में 04/05-2-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 21 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।